

प्रेस नोट:-
सराहनीय कार्य जनपद एटा

एटा - थाना बागवाला पुलिस को मिली सफलता एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मु 0अ0सं0 63/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बागवाला एटा पंजीकृत किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अवैध देशी व कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान के तहत थाना बागवाला पुलिस द्वारा अभियुक्त शुभम पुत्र रामकिशन निवासी मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर को खेरिया पुल खारजा नहर से करीब 15 मीटर की दूरी थाना बागवाला जिला एटा से दिनांक 22.03.2021 को समय 16.30 बजे* गिरफ्तार किया गया अभि 0 के विरुद्ध मु 0अ0सं0 63/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बागवाला एटा पंजीकृत किया गया

अभियुक्त का नाम पता

शुभम पुत्र रामकिशन निवासी मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण

उ0नि0 नवल सिंह

का0 1374 पुष्पेन्द्र सिंह

का0 687 आशीष कुमार थाना बागवाला जिला एटा

बरामदगी का विवरण

15 लीटर अवैध कच्ची शराब

